कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा

पत्रांक– मु0चि0अ0 / रा0त0नि0प्र0 / 2021–22 / 2552. दिनांक 02.03.2022

बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद अमरोहा।

विषय– सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 की धारा– 4,5,6,7 के पूर्ण परिपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि अपर जिला अधिकारी, अमरोहा के पत्रांक संख्या– अ0जि0क0 / रा0त0नि0प्र0 / आदेश / 2021–22 / 15600–15609, दिनांक–10.08.2021 के सन्दर्भ में जनपद अमरोहा के सभी सार्वजनिक स्थानो व शैक्षणिक संस्थानो के परिसर को धूम्रपान मुक्त घोषित करने एवं सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा–4,5,6,7 के पूर्ण परिपालन करने हेतु निम्न प्रकार की टीमो का गठन किया गया है तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि समस्त सार्वजनिक स्थानो, शैक्षणिक संस्थानो, तम्बाकू उत्पाद निर्माण आदि स्थानो में (कोटपा अधिनियम 2003) का उल्लंघन करने वाले के संबंध में जाँच/छापा मारने हेतु टीमें प्रत्येक बुद्धवार को प्रातः 11:30 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में एकत्रित हो और सभी सदस्य उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

क्रम सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	छापामारी का दिवस
1	पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा नामित प्रतिनिधि।	**बुद्धवार**
2	नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अमरोहा	
3	नगर स्वास्थ्य अधिकारी अमरोहा।	
4	जिला विद्यालय निरीक्षक अमरोहा।	
5	बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा।	
6	जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरोहा।	
7	वाणिज्य कर अधिकारी अमरोहा।	
8	क्षेत्रीय समन्वयक यू0पी0वी0एच0ए0 अमरोहा।	

उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आपकी कोटपा–2003 की मासिक रिपोर्ट अभियान प्रारम्भ होने से अब तक कोई भी रिपोर्ट प्रेषित नही की गयी है, तथा अब तक 18 अभियानों में आपके विभाग द्वारा 7 बार अनुपस्थिति दर्ज की गयी है। कृपया अनुपस्थित और रिपोर्ट न भेजने का स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करें।

d/c
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद अमरोहा।

पृ0सं0– मु0चि0अ0 / रा0त0नि0प्र0 / 2021–22 / 2553 – 2555 तद्दिनांक

1. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
2. जिला अधिकारी महोदय अमरोहा
3. अपर जिला अधिकारी, अमरोहा।
4. नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, अमरोहा।

d/c
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद अमरोहा।